न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

अधिकारी–

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
137 / प्रा0पत्र / 14	30.10.2014	12.08.2021

1. श्री रामधन आ0 छोटूलाल जाति धाकड़ निवासी मजरा लक्ष्मीनिवास नैंनवा हाल निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. श्री शम्भूलाल आ0 गोपाल जाति माली निवासी मजरा लक्ष्मीपुरा नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
3. श्री खाना आ0 रघुनाथ जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीनिवास मजरा नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
4. श्री बहादुर खां आ0 भूरे खां जाति मुसलमान निवासी नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
5. श्री प्रभू आ0 जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी मजरा लक्ष्मीनिवास नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
6. श्री ग्यारसीलाल आ0 छोटूलाल जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीनिवास मजरा नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
7. श्री महावीर आ0 गोपाल जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीनिवास मजरा नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
8. श्री पोखर आ0 रघुनाथ जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीनिवास मजरा नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
9. श्री कैलाशचन्द आ0 गोपाल जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीनिवास मजरा नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नाथूलाल आ0 नन्दलाल जाति तेली निवासी मालदेव का चौक नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. श्री ललित कुमार आ0 रमेश कुमार जाति महाजन निवासी जयपुर रोड नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
3. श्री मुकेश कुमार आ0 रमेश कुमार जाति महाजन निवासी जयपुर रोड नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
4. श्री सुरेन्द्र कुमार आ0 रमेश कुमार जाति महाजन निवासी जयपुर रोड नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
5. श्रीमान् तहसीलदार साहब नैंनवा जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित–

प्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की ओर से–श्री आषुतोश शर्मा एड0
अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से–श्री कैलाश गुप्ता एड0
अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से–पेरोकार सरकार

अति0 जिला कलक्टर
बूंदी (राज0)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) 1970 प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 643 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम नैंनवा तहसील नैंनवा आवंटन आदेश दिनांक 23.11.1975 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी संख्या 1 को विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 643 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम नैंनवा का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधान एवं प्रकिया के विपरीत आवंटन किया गया हैं। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कभी वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं रहा हैं तथा भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गई हैं। भूमि नगर पालिका क्षेत्र से लगवा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवेदन पत्र खसरा संख्या 632 का प्रस्तुत किया गया हैं जबकि उसे आवंटन खसरा संख्या 643 का किया गया हैं जो गैर मुमकिन बरड़ा हैं। भूमि खसरा संख्या 643 नैंनवा नगर पालिका क्षेत्र में स्थिति हैं। यह भूमि प्रार्थीगण के आबादी भूमि खसरा संख्या 612 के लगवा हैं, जो मवेशियों को चराई के लिए उपयोग में आ रही हैं। आवंटित भूमि की आवंटन हेतु घोषणा जारी नहीं की गई हैं। भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं होने पर भी उस खातेदारी दे दी गई हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त भूमि को विक्रय दर विक्रय किया जाता रहा हैं। वर्तमान में उक्त भूमि विक्रय के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 के नाम दर्ज हैं। आवंटन आदेश दिनांक 23.11.1975 बाबत् प्रार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 द्वारा सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में भूमि के पेड़ व झाड़ियां कटवाने की कार्यवाही करने व भूमि पर आवासीय कॉलोनी निर्माण हेतु भूमि का नाप कर चिन्हित करने पर पता चला। प्रार्थीगण ने भूमि के संबंध में तहसील से संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इससे पूर्व प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी के अभाव में जानकारी के पूर्व की समयावधि क्षमा योग्य हैं। इस हेतु पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 23.11.1975 को खारिज किया जावें। प्रार्थी अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डीएनजे राज. 2017 पार्ट–I पेज 147 (राज. एच.सी.), आरआरडी 2015 पेज 536, आरआरटी 2021 (1) पेज 301 एवं आरआरडी 1998 पेज 47 प्रस्तुत किये गये।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आवंटन आदेश आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनाई जाकर किया गया हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना करने पर ही खातेदारी अधिकार दिये गये थे। विवादित भूमि मवेशियों की चराई के लिए कभी भी उपयोग में नहीं लाई गई हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बवक्त आवंटन कोई तथ्य नहीं छिपाये गये हैं और न ही आवंटन आवेदन पत्र में मिथ्यातथ्य अंकित किये गये हैं। आवंटन के 40 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार की भूमि को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जो चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर आवंटन आदेश दिनांक 23.11.1975 यथावत रखा जावें। अप्रार्थीगण के वकील ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1998 पेज 16, आरबीजे 1998 पेज 161, आरबीजे 2001 पेज 460 एवं आरआरडी 1987 पेज 422 A & B प्रस्तुत किये गये।

राजकीय अभिभाषक ने दोराने बहस व्यक्त किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा आवंटन विधि अनुकूल किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 23.11.1975 को

अति० जिला कलक्टर

हैं। प्रार्थीगण की यह आपत्ति हैं कि उक्त विवादित आवंटित भूमि पशुओं की उपयोग में ली जाती रही हैं तथा आवंटन से पूर्व अकृषि योग्य झाड़ी वाले चराई योग्य भूमि के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी 2035 से 2038, 2060 से 2063 के अवलोकन से जाहिर आया कि खसरा संख्या 643 की किस्म गैर मुमकिन बरड़ा खाता संख्या 1 में अंकित हैं जिससे प्रकट हैं कि बवक्त आवंटन उक्त भूमि आवंटन योग्य थी। प्रार्थीगण द्वारा यह आपत्ति भी उठाई गई हैं कि आवंटन प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 622 अंकित किया गया हैं और आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा खसरा संख्या 643 का आवंटन किया गया हैं। इस संबंध में नियम 8(2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 का उल्लेख करना उचित समझते हैं जो इस प्रकार हैं "आवंटन के लिए आवेदन पत्र सिविल प्रकिया संहिता 1908 के अधीन वाद पत्र के रूप में सत्यापित किया जायेगा"। आवंटन परामर्शदात्री समिति (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा आवंटन आदेश में खसरा संख्या 622 के स्थान पर 643 अंकित किया गया हैं जिस पर उपखण्ड अधिकारी के लघु हस्ताक्षर अंकित हैं तथा आवेदन पत्र की पुश्त पर भी सत्यापन के दौरान खसरा संख्या 643 रकबा 8 बीघा का हस्तलिखित उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त मय तारीख दिनांक 23.11.1975 का नोट अंकित हैं।

राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) में यह उल्लेखित है कि यदि आवंटन कपट या दुव्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो, या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे यह साबित हो कि आवंटी द्वारा कौनसे तथ्य छिपाये जाकर आवंटन करवाया गया हैं तथा आवंटन की कौनसी शर्तों की पालना नहीं की गई हैं। प्रार्थीगण यह साबित करने में भी असफल रहे हैं कि वह आवंटन आदेश दिनांक 23.11.1975 से किस प्रकार प्रभावित पक्षकार हैं। हस्तगत प्रकरण में आवंटी को आवंटन के उपरान्त खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये गये तथा आवंटी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के द्वारा उक्त भूमि का बेचान भी कर दिया गया हैं और वर्तमान में अन्य व्यक्ति खातेदार के रूप में दर्ज हैं। उक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सारहीन/बलहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 23.11.1975 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर

(असदुल्लाह खान)

अति० जिला कलक्टर, बूंदी